

24/20

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित।
प्रातिवादी द्वारा भूमि अधिवक्ता ने समय प्रार्थना -
पत्र को अवगत कराया कि वादी द्वारा भूमि
का बचान कर दिया गया है। बेचाननाम
की प्रति हंगलवन है। भूमि में वादी का
अब कोई हक्क - हिस्सा शेष नहीं रहा
है। जिसका वादा अधिवक्ता ने
भी स्वीकार किया गया है। वादी
अधिवक्ता अब इसके आगे नहीं चलना
चाहते हैं। इस पत्रावली का अब कोई औचित्य
नहीं रह गया है।

अतः वादी का वाद खारिज किया
जाता है। पत्रावली प्रथम शुभार डेकर नम्बर
से कम की जाकर दायित्व दे प्रतर

